न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी का नाम :– यशपाल आहूजा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– /2019

1 गुरदीप सिंह पुत्र करतार सिंह जाति जट सिख निवासी पतली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

2 बलतेज सिंह पुत्र हाकम सिंह जाति जट सिख निवासी पतली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

3 यादविन्द्र सिंह पुत्र हंसराज सिंह जाति जट सिख निवासी पतली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान कोलोनाईजेशन एक्ट

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण :–

1 श्री राकेश कुमार सिहाग अधिवक्ता (प्रार्थीगण)

2 राजपैरोकार

निर्णय दिनांक :– 21/07/19

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 25 के एस डी 'बी' जमाबदी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 17/74 प.न. 61/106 मु.न. 42 कि.न. 8, 11 ता 20 प्रत्येक में 0.253 है. बारानी, कुल 2.783 है. बारानी, प.न. 60/106 मु.न. 43 कि.न 12 ता 18, 21 ता 23 प्रत्येक में 2.530 है. बारानी मय खाला, प.न. 60/107 मु.न. 46 कि.न. 1, 2 में 0.506 है. बारानी मय खाला कुल खाता 5.819 है. बारानी मय खाला आराजी में से प्रार्थी गुरदीप सिंह पुत्र करतार सिंह के नाम 0.633 है. + 0.632 है., प्रार्थी बलतेज सिंह पुत्र हाकम सिंह के नाम 0.253 है., प्रार्थी यादविन्द्र सिंह पुत्र हंसराज सिंह के नाम 0.506 है. आराजी दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबदी संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थीगण के नाम दर्ज आराजी में से प्रार्थीगण के पास प.न. 61/106 मु.न. 42 कि.न. 8, 11, 12, 18, 19, 20 प्रत्येक में 0.253 है. बारानी कुल 1.518 है. बारानी, व प.न. 60/106 मु.न. 43 कि.न. 14 में 0.253 है. बारानी, कि.न. 15 में 0.228 है. बारानी 0.025 है. खाला आराजी पर कब्जा काश्त चली आ रही है, जो कि प्रार्थीगण के हक हिस्सा एव कब्जा काश्त की उक्त आराजी नहर आने से सिंचित है एव नहरी कृषि भूमि है परन्तु राजसव रिकॉर्ड में उक्त रकबा बारानी दर्ज कागजात माल है जिस कारण प्रार्थीगण को रकम अदायगी बैंक ऋण व राज्य सरकार द्वारा डिग्गी अनूदान का लाभ नही मिल पाता है एव प्रार्थीगण अपने हक हिस्सा की नहरी आराजी जो कि राजस्व रिकॉर्ड में बारानी दर्ज रहने के कारण प्रार्थीगण को किसी भी प्रकार की नहरी आराजी मे दिये जाने वाली योजनाओं का लाभ नही मिल पाता है।प्रार्थीगण के हक हिस्सा एव कब्जा काश्त मु.न. 42 कि.न. 8, 11, 12, 18, 19, 20 कुल 6 बीघा व मु.न. 43कि.न. 14, 15 कुल 2 बीघा आराजी नहर आने से सिंचित रकबा है एव नहरी विभाग में सिंचित रकबा है जिसके सम्बध में कार्यालय अधिशाषी अभियन्त जल संसाधन खण्ड प्रथम हनुमानगढ, की रिपोर्ट क्रमांकः– टी–4/2014/5685 दिनांक 30.11.2015 रिपोर्ट दी गयी है एव उक्त रकबा को सिंचाई विभाग में सिंचित दर्शाया गया है, रिपोर्ट संलग्न प्रार्थना पत्र है।

लिहाजा प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार राजस्व सादुलशहर को "चक 25 के एस डी 'बी' जमाबंदी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 17/74 प.न. 61/106 मु.न. 42

उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर

कि.न. 8, 11, 12, 18, 19, 20 प्रतयेक में 0.253 है. बारानी कुल 1.518 है. बारानी, प.न. 60/106 मु.न. 43 कि.न. 14 में 0.253 है. बारानी, कि.न. 15 में 0.228 है. बारानी 0.025 है. खाला कुल 0.506 है. बारानी मय खाला आराजी'' के स्थान पर ''चक 25 के एस डी 'बी' जमाबंदी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 17/74 प.न. 61/106 मु.न. 42 कि.न. 8, 11, 12, 18, 19, 20 प्रत्येक में 0.253 है. नहरी कुल 1.518 है. नहरी, प.न. 60/106 मु.न. 43 कि.न. 14 में 0.253 है. नहरी, कि.न. 15 में 0.228 है. नहरी 0.025 है. खाला कुल 0.506 है. नहरी मय खाला आराजी'' दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रिपोर्ट तलब की गयी, रिपोर्ट तहसीलदार से प्राप्त हुयी है।

बहस सुनी गयी, दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया, पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थीगण के हक हिस्सा की आराजी के सम्बध मे अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड प्रथम हनुमानगढ, की रिपोर्ट क्रमांकः– टी–4/2014/5685 दिनांक 30.11.2015 के अनूसार प्रार्थीगण का रकबा कमाण्ड है एव रकबा 2001 से पूर्व कमाण्ड है जिसमें अन्तर राशि का प्रावधान नही है, रकबा राजस्थान उपनिवेशन (भाखड़ा परियोजना सरकारी भूमि आवंटन एव विक्रय) नियम 1955, के नियम 13 के तहत दी गयी अनूसुची में भी कमाण्ड क्षेत्र के तहत आता है, परन्तु राजस्व रिकॉर्ड मे रकबा बारानी दर्ज रिकॉर्ड चला आ रहा है एव रकबा सिंचित के सम्बध में पटवारी हल्का व अधिशाषी अभियन्ता की रिपोर्ट प्राप्त हो चूकी है एव प्रार्थीगण के चाहे गये अनूतोष का रकबा नहरी है, एव रकबा 2001 से पूर्व का नहरी होने के कारण अन्तर राशि का प्रावधान नही है, उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता हूं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर तहसील (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि – ''चक 25 के एस डी 'बी' जमाबंदी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 17/74 प.न. 61/106 मु.न. 42 कि.न. 8, 11, 12, 18, 19, 20 प्रतयेक में 0.253 है. बारानी कुल 1.518 है. बारानी, प.न. 60/106 मु.न. 43 कि.न. 14 में 0.253 है. बारानी, कि.न. 15 में 0.228 है. बारानी 0.025 है. खाला कुल 0.506 है. बारानी मय खाला आराजी'' के स्थान पर ''चक 25 के एस डी 'बी' जमाबंदी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 17/74 प.न. 61/106 मु.न. 42 कि.न. 8, 11, 12, 18, 19, 20 प्रत्येक में 0.253 है. नहरी कुल 1.518 है. नहरी, प.न. 60/106 मु.न. 43 कि.न. 14 में 0.253 है. नहरी, कि.न. 15 में 0.228 है. नहरी 0.025 है. खाला कुल 0.506 है. नहरी मय खाला आराजी'' दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।उक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को पत्र जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम क़ी जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 9.10.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर सादुलशहर

यशपाल आहूजा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner